D.L.H & D.L.S - Chapter 06, Law

कानून के प्रकार (Kinds of Law) - विधिशास्त्रियों द्वारा ग्रहण किए गए आधारों के अनुसार कानून को अनेक रूपों में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, उन सम्बन्धों के आधार पर जो कानून लोगों तथा उनके व्यवस्थित समाज के बीच समायोजित करना चाहता है, उसके दो प्रकार बताए गए हैं - राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय। इसके उपरांत इसके निर्माण की विधि और उसके पीछे निहित शक्ति के आधार पर कानून का दो और रूपों में विभाजन किया जाता है। संवैधानिक व साधारण। फिर व्यक्ति द्वारा की गई गलती तथा उसके दुष्प्रभाव को दूर करने की दृष्टि से कानून को दो और रूपों में बांटा गया है। दीवानी तथा फौजदारी। हमें कानून के सूजक तथा उसके क्षेत्र की प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसके उपरांत उसे दो अन्य श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए। प्राकृतिक व सकारात्मक।

(i) प्राकृतिक तथा सकारात्मक कानून (Natural and Positive Law)

प्रकृति अथवा किसी अन्य अतिप्राकृतिक अभिकरण द्वारा निर्मित होने के कारण प्रकृति का कानून अमूर्त है, जबकि राज्य का कानून मानव द्वारा निर्मित होने के कारण मूर्त है। अतः पूर्ववित के आदेश मानव की बौद्धिक शक्ति द्वारा 'ईश्वर की कलम से मानव के हृदय पर लिखित रूप में समझे जा सकते हैं, जबकि उत्तरोक्त को सरलता से समझा जा सकता है क्योंकि यह लिखित होता है। इसे सकारात्मक कानून कहा जाता है क्योंकि इसकी शब्दावली सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, पूर्ववित का बल किसी अति-प्राकृतिक शक्ति के प्रति सम्मान अथवा भय में निहित है, जबकि उत्तरोक्त को प्रभुतासम्पन्न संघ (राज्य) लागू करता है और इस कारण उसे निश्चित रूपी अथवा आदेशात्मक कानून कहा जाता है।

Avinash

(ii) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून (National and International Law) – किसी प्रभुता-सम्पन्न सत्ता द्वारा निर्मित तथा उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों पर लागू होने वाले कानून को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। यह राज्य में रहने वाले लोगों के निजी तथा सार्वजनिक संबंधों का निर्धारण करता है। इससे भिन्न, अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के बीच परस्पर आचरण को विनियमित करता है। दोनों मानव-निर्मित कानून हैं। तथापि, दोनों के बीच यह अन्तर है कि पूर्वोक्त के पीछे प्रभुसत्ता सम्पन्न सत्ता का बल है, जबकि उत्तरोक्त विश्व के सभ्य राष्ट्रों के सद्विवेक से अपना बल ग्रहण करता है।

(iii) संवैधानिक तथा साधारण कानून (constitutional and ordinary Law) – संवैधानिक कानून उस कानून को कहते हैं जिसके द्वारा सरकार का ढांचा निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा राज्य के प्रति नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियां तथा राज्यपाल की नियुक्ति से सम्बन्धित कानून संवैधानिक कानून के ही उदाहरण हैं।

नागरिकों के दैनिक जीवन एवं आचरण को नियमित करने वाले कानूनों को सामान्य कानून कहते हैं। ये व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित होते या रीति-रिवाजों और परम्पराओं पर आधारित होते हैं। लचीले संविधान में तो सामान्य कानून और संवैधानिक कानून के निर्माण की एक ही प्रक्रिया होती है, किन्तु कठोर संविधान में संवैधानिक कानून के निर्माण, परिवर्तन या संशोधन की प्रक्रिया सामान्य कानून से भिन्न तथा विशेष प्रकार की होती है।

(iv) दीवानी तथा फौजदारी कानून (civil and criminal law) – दीवानी कानून का संबंध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अन्य व्यक्ति के हितों को क्षति पहुंचाने वाले कार्य से है

Aimesh

Scanned with CamScanner

जैसे - ऋण का भुगतान न करना अथवा किसी समझौते की शर्तों का उल्लंघन करना, जबकि फौजदारी कानून का संबंध किसी व्यक्ति के आपराधिक कृत्य (जैसे - चोरी, डकैती, हत्या आदि) से है। दोनों मामलों में न्यायिक प्रक्रिया भिन्न होती है।

(v) निजी तथा सार्वजनिक कानून (Private and Public law) - निजी कानूनों का आशय व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों से है, जबकि सार्वजनिक कानून का आशय लोगों तथा राज्य के बीच संबंध से है।

उदाहरण → निजी या व्यक्तिगत कानून - ऋण सम्बन्धी कानून और जायदाद खरीदने व बेचने के कानून इसी श्रेणी में आते हैं।

सार्वजनिक कानून - कर लगाने, चोरी, डकैती और हत्या करने वालों को दण्ड देने के लिए जो कानून बनाये जाते हैं, इन्हें इसी सूची में शामिल किया जाता है।

(vi) प्रशासकीय कानून (Administrative law) - किसी किसी देश में साधारण नागरिकों से पृथक सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग कानून होते हैं। इन कानूनों को प्रशासकीय कानून कहते हैं। ये वे नियम हैं जो राज्य के सभी कर्मचारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। फ्रांस प्रशासकीय कानून का सर्वोत्तम उदाहरण है।

(vii) प्रथागत कानून (Common Laws) - ये देश में प्रचलित रीति-रिवाज और परम्पराओं से विकसित रूप होते हैं और न्यायालय इन्हें मान्यता देकर कानून का रूप प्रदान करते हैं। इंगलैण्ड में कानून के विकास में रीति-रिवाजों ने महत्वपूर्ण भाग लिया है। इसलिए वहां 'कामन लॉ' काफी प्रचलित है।

(viii) अध्यादेश (ordinance) - किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कार्यपालिका के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो आदेश जारी किया जाता है, उसे अध्यादेश कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

Avinash

Scanned with CamScanner